Website : www alldstateuniversity org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly Allahabad State University)

पत्राक संख्या– पी0आर0एस0यू0/सम्बद्धता/3106/2020 दिनाक–28/02/2020

सम्बद्धता आदेश

उ प्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय सशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 19.02.2020 के अनुपालन मे **स्व0 अर्जुन सिंह रानी इन्दिरा सिंह महाविद्यालय, गुरगौला, जयरामपुर, फतेहपुर, उ0प्र0** को निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र **संख्या–पी0आर0एस0यू0/सम्बद्धता/584/2019 दिनांक: 30.05.2019** म इगित कमियो की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला सकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, सस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र विषयो मे **बी0ए0** पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एव गणित विषयो म **बी0एससी0 पाठ्यक्रम** मे स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **शैक्षिक सत्र 2019–20 से सम्बद्धता** प्रदान की जाती है–.

1. सस्था/महाविद्यालय शासनादश सख्या–2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनाक 02 जुलाई 2003 मे उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशो एव इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसगत शासनादेशो का पालन करेगी।
2. सस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. सस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली मे वर्णित तथा शासन एव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एव मानकों की पूर्णता एव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा मे उ प्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानो के अतर्गत सस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. सस्था/महाविद्यालय का सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रो एव सूचनाओ के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रा/सूचनाओ के असत्य पाये जाने की दशा मे महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत समाप्त हो जायेगी।
5. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षको के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
6. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सख्या–61859/2012 मे पारित आदेश दिनाक 20.12.2012 के अनुपालन मे मानकानुसार शिक्षको के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादश सख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनाक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
7. सस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एव परीक्षाओ आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एव सुसगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. सस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश सख्या–421/सत्तर–1–2015–16 (20)/2011, दिनाक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. सस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एव कार्यरत शिक्षको की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. **प्रबन्धक, स्व0 अर्जुन सिह रानी इन्दिरा सिह महाविद्यालय, गुरगौला, जयरामपुर, फतेहपुर, उ0प्र0।**
4. परीक्षा नियंत्रक, प्रो0 राजेन्द्र सिह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एव कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुलसचिव

पताः सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड,सिविल लाइन्स, प्रयागराज, (उ०प्र०), फोनः 0532–2256206
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Prayagraj. (U.P.) Ph. 0532-2256206